Trial No.-5114/2025

दिनांक 04.04.2026	विचारण के एकमात्र काराधीन अभियुक्त–मो0 दानिश, उम्र–37 वर्ष को CW पर V/C के द्वारा कारा से प्रस्तुत किया गया। वाद पुकारा गया। वाद प्रस्तुत हुआ। प्रस्तुत वाद में अभियोजन को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि उक्त अभियुक्त के विरूद्ध बी.एन.एस. की धारा–**109, 103(1) एवं 27 आयुध अधिनियम** के अंतर्गत **संज्ञान** लिया गया है, जो कि विद्वान सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है। अतएव **बी.एन.एस.एस. की धारा–232** के अंतर्गत वाद को दौरा सुपुर्द किया जाता है। कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि आरक्षी कागजात की प्रतिलिपि प्रस्तुत वाद के साथ संलग्न करें साथ ही अभिलेख को प्रधान विद्वान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीतामढ़ी के न्यायालय में प्राप्त करावें एवं अधिसूचना निर्गत करें। अधिसूचना की प्रति अभियोजन पदाधिकारी को भी दें। दिनांक–07.05.2026 अभियुक्त का सत्र न्यायालय में उपस्थिति हेतु। लेखापित अनुमण्डल न्यायिक दण्डाधिकारी, पुपरी, सीतामढ़ी।